सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश
निदेशालय अनुसूचित जातियो, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्प संख्यक मामलें
योजनाएँ
1.अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गो /अल्पसंख्यकों के लिये योजनाएँ
2.सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाएँ
3.अक्षम व्यक्तियों के लिए योजनाएँ
4.वृद्धों के लिए योजनाएँ
5.अन्य कल्याण योजनाऐं

उद्देश्य

- अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्प सख्यक के सामाजिक , आर्थिक तथा शैक्षणिक उथान के लिए योजनाओ का संचालन करना तथा उनके अधिकारो को संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमों का कार्यन्वयन करना ।
- व्यक्ति जिनमे अक्षमताएँ है उन्हें समान अवसर, अधिकारो का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदार सुनिशचित करने के लिए योजनाओ तथा अधिनियमों का कार्यन्वयन करना ।
- वृदों,विकलागों, विधवाओं इत्यादि को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
- वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ योजनाओ का संचालन तथा उनके अधिकारो एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमों का कार्यन्वयन करना ।
- मादक द्रव्यों के कुप्रभावों प्रति पर जागरूकता अभियान चलाना तथा उनसे प्रभावितो का पुर्नवास करना ।

योजनाएं

विभाग द्धारा संचालित योजनाऐं :-

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गो /अल्पसंख्यकों के लिये योजनाएँ :-

क) राज्य योजनाएँ

1. मकान निर्माण हेतु अनुदान.
2. अनुवर्ती कार्यकम.
3. अनु० जा० /ज० ज० /अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्प सं्ख्यको से संबन्धित अभ्यर्थियों को कम्प्युटर एप्लिकेशन व समवर्गीय किया कलापों मे प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना.
4. अंतरजातीय विवाह पुरस्कार.
5. आत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तीओं को राहत.
6. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति /जन जाति विकास निगम की योजनाएं.
7. हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम.
8. हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम.
9. हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग.
10. अनुसूचित जाति उप योजना.
11. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना.

ख) केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ

(I) अनुसूचित जातियों के लिए योजनाऐं

1. छात्र/ छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण योजना.
2. अनुसूचित जाति,अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों को अनुशिक्षण तथा सम्बद्ध निःशुल्क सहायता योजना.
3. अनुसूचित जाति, के विद्यार्थियों हेतु गुणात्मक शिक्षा के लिए छात्रवृति योजना.
4. डा0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान की योजनाएं.
5. प्रधान मन्त्री आदर्श ग्राम योजना.
6. बाबू जगजीवन राम छात्रावास निर्माण योजना.

(II) अन्य पिछडा वर्गो के लिए योजनऐं

1. अन्य पिछडा वर्गो के छात्र/छात्राओ के लिए छात्रावास निर्माण योजना

(III) अल्पसंख्यक कार्य मन्त्रालय भारत सरकार द्धारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाऐं

1. अल्पसंख्यक के अभ्यार्थियों के लिए अनुशिक्षण एवं सम्बद्ध निःशुल्क सहायता योजना
2. मौलाना आजाद शिक्षा फाऊडेशन
3. मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना

सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाएँ :-

क)राज्य योजनाएँ

1. वृद्धावस्था पैंशन योजना
2. विकलांगता राहत भत्ता
3. विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन योजना
4. कुष्ठ रोगियों को पुर्नवास भत्ता

ख) केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैंशन योजना
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन योजना

अक्षम व्यक्तियों के लिए योजनाएँ :-

क) विकलांगजन हेतु एकीकृत योजना सहयोग

1.विकलांगता पहचान पत्र.

2. विकलांगजन हेतु एकीकृत योजना.
   - (i) सर्वेक्षण, शीघ्र पहचान एवं अनुसंधान
   - (ii) जागरूकता
   - (iii) विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृतियां
   - (iv) विकलांगजनो का कौशल विकास
   - (v) विकलांगजन के लिए विवाह अनुदान
   - (vi) विकलांगों को स्वरोजगार सहायता

3.विकलांग बच्चों के विशेष स्कूल/ गृह.

4.विकलागंजन के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम.

5.विकलांगजन के लिए क्षेत्रीय स्त्रोत केन्द्र.

ख) केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं

1. सहायक उपकरण/कृत्रिम अंग लगवाने व खरीदने हेतु सहायता
2. दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना
3. विकलांगजन के लिए क्षेत्रीय स्त्रोत केन्द्र

वृद्धों के लिए योजनाएँ

क) राज्य योजनाएँ

1. वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र
2. वृद्धों के लिए आश्रम

ख) केन्द्रीय योजनाएं

1. वृद्धों के लिए एकीकृत कार्यक्रम
2. अन्नपूर्णा योजना

अन्य कल्याण योजनाऐं:-

क) राज्य योजनाएँ

1. स्वयं सेवी सस्थाओं को अनुदान योजना
2. सुनिश्चित रोजगार के लिये योग्यता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण योजना

ख) केन्द्रीय योजनाएं

1. मादक द्रव्य तथा नशा निवारण के लिये योजना
2. राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /अन्य पिछड़े वर्ग अल्प संख्यकों हेतु योजनाएं

क) राज्य योजनाएँ

1. मकान निर्माण हेतु अनुदान
(Subsidy for the Construction of Houses)

उद्देश्य

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो से सम्बन्धित व्यक्तियों को आवास उपलब्ध करवाना।

सहायता

नये मकान निर्माण के लिए: 75,000/-रू0

पात्रता

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो जिनकी वार्षिक आय 17,000/-रू0 से अधिक न हो तथा राजस्व रिकार्ड में मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हों।

2. अनुवर्ती कार्यकम
(Follow-up-Programme)

उद्देश्य

आई0टी0आई0 और अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्दों से प्राप्त प्रशिक्षण व्यक्तियों अथवा प्रशिक्षित कामगारों को आजीविका कमाने हेतु औजार उपलब्ध करवाना।

पात्रता

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़े वर्गो के प्रशिक्षण प्राप्त प्रार्थी जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हो तथा वार्षिक आय 11,000/- रू0 से अधिक न हो।

सहायता

1500/-रू0 तक की राशि के औजार और सिलाई मशीनें।

3. अनु० जा० /ज० ज० /अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्प संख्यको से संबन्धित अभ्यर्थियों को कम्प्युटर एप्लिकेशन व समवर्गीय किया कलापों मे प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना
(Training & Proficiency in computer applications)

उद्देश्य

अनुसूचित जाति/जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गो एवं अल्पसंख्य समुदाय से सम्बन्धित व्यक्तियों को कम्पयूटर ऐप्लिकेशन में प्रशिक्षण एवं प्रवीणता उपलब्ध करवाकर उन्हें सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना।

पात्रता

35 वर्ष से कम आयु के अनुसूचित जाति/जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गो एवं अल्पसख्यकों के बी0पी0एल0 परिवारों के सदस्य या जिनके परिवार की वार्षिक आय 6000/- रू0 से कम हो

सहायता

मान्यता प्राप्त संस्थानों में कम्पयूटर एपलिकेशन में विभिन्नता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान 1200/- रू0 तक प्रशिक्षण खर्च विभाग वहन करता है प्रशिक्षण के दौहरान प्रशिक्षणार्थी को 1000/-रू0 प्रति माह प्रति छात्रवृति दी जाती है। प्रशिक्षण उपरान्त छः माह के लिए सरकारी /गैर सरकारी कार्यालयों में प्रविणता हासिल करने के लिये रखा जाता है इस अवधि के दौरान 1500/-रू0 प्रति माह दिये जाते है।

4. अंतरजातीय विवाह पुरस्कार
(Award for Intercaste Marriage)

उद्देश्य

छुआछूत की कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना।

पात्रता

समय जाति के युवक/युवतियां जो अनुसूचित जाति के युवती/युवकों से कानूनी तौर पर विवाह करने पर पुरस्कृत किया जाता है।

सहायता

50,000/-रू0 का नगद पुरस्कार।

5. आत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तीओं को राहत
(Compensation to the SC/ST Victims of Atrocities)

उद्देश्य

जाति भेदभाव के कारण सामन्य जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों

पर अत्यचार किये जाने पर पिडित व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के अन्तर्गत राहत राशि प्रदान करना ।

पात्रता

अनुसूचित जाति/जन-जाति से सम्बन्धित व्यक्ति ।

सहायता

0.50 लाख रू0 से 5.00 लाख रू0 तक राहत राशि दी जाती है ।

6. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति /जन जाति विकास निगम की योजनाएं (H.P. Scheduled Castes/Scheduled Tribes Development Corporation)

उद्देश्य

निर्धन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु उनके कारोबार को बढ़ाने तथा अन्य स्वयं रोजगार धन्धे चलाने हेतु सस्ती ऋण , प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध करवाना ।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क:

Himachal.gov.in/hpscstdc या प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जन जाति विकास निगम सोलन या सम्बन्धित जिला के जिला प्रबन्धक ।

7. हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (H.P. Backward Classes Finance & Development Corporation)

उद्देश्य

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अधिसूचित पिछड़ी जाति के पात्र व्यक्तियों को सस्ती दरो पर ऋण उपलब्ध करवा कर सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान करना।

पात्रता

18 से 55 वर्ष के आयु के पिछड़े वर्गों के ग्रामीण क्षेत्रों मे रहने वाले व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 40,000/- तथा शहरी क्षेत्रों मे रहने वाले व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 55,000/- से कम है।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क:

प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश अन्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कागडा/ सम्बन्धित जिला कल्यकण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।

8. हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम
(H.P. Minorities Finance & Development Corporation)

उद्देश्य

प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे रह रहे अल्प संख्यक वर्ग (सिख,मुस्लिम, इसाई, बौद्ध व पारसी) एवं अक्षम व्यक्तियों के सस्ती दरो पर ऋण उपलब्ध करवाकर उन का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान करना।

पात्रता

वार्षिक आय

अल्प संख्यक समुदाय के लियेः 40,000/-रू(ग्रामीण क्षेत्र) तथा
55,000/-रू(शहरी क्षेत्र)

अक्षम व्यक्ति की अपंगता 40% व इससे अधिक होना अनिवार्य है।

सहायता

अल्प संख्यक समुदाय के लियेः

- अवधि ऋणः 50.000 रू0 से 5.00 लाख तक 6 प्रतिशत दर पर
- सीमान्त ऋणः 1.75 लाख रू0 तक 3 प्रतिशत ब्याज दर पर
- लघु व्यापार ऋणः 5000 से 10000/- रू0 तक 6 प्रतिशत ब्याज दर पर
- समय अवधिः 5 वर्ष

अक्षम व्यक्तियों के लियेः

- अवधि ऋणः 5.00 लाख तक 6% व्याज दर पर।
  महिलाओं को व्याज दर मे 10% की छुट।
- समय अवधिः 7 वर्ष

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्कः

Himachal.gov.in/hpscstdc या प्रबन्ध प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम शिमला-9 /सम्बन्धित जिला कल्यकण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।

9. हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग

उद्देश्य

- किसी श्रेणी अथवा जाती को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने हेतु मामलों का परीक्षण करके राज्य सरकार को सिफ़ारिश करना।
- पिछड़े वर्गों की सूची में किसी जाती/वर्ग को हटाने बारे शिकायतें सुनना।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क

सचिव , हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, शिमला।

9. अनुसूचित जाति उप योजना
(SCSP)

अनुसूचित जाति उप योजना हेतू कुल राज्य योजना का 24.72% परिव्यय चिन्हांकित किया जाता है। इस
सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतू निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अनुसू
उप योजना के तहत आने वाले विभिन्न विभागों का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है।

उद्देश्य अनुसूचित जाति के समुदाय के लिए व्यक्तिगत/परिवार लाभार्थी योजनाओं, आधार भूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करके उनका आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान करके सामाजिक न्याय दिलाना।

सहायता राज्य योजना का 24.72 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति उप योजना के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को आबंटित करके विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करवाया जाता है। अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की चिन्हित योजनाओं का कार्यान्वयन सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जाता है।

कार्यान्वयन विभाग इस योजना का कार्यान्वयन प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों,बोर्डो एवं निगमों के माध्यम से किया जा रहा है जिनमें मुख्यतः कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, सहकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, हिम ऊर्जा, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति/जन जाति विकास निगम, खादी बोर्ड, हथकरघा विकास निगम सम्मिलित है।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/उपायुक्त/ज़िला कल्याण अधिकारी/सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष एवं ज़िला स्तरीय अधिकारी।

कार्यक्रमों का संचालन इस योजना के अर्न्तगत व्यक्तिगत/परिवार मूलक लाभार्थी योजनाओं में अनुसूचित जाति के समुदाय का विकास, रोज़गार के अवसर बढ़ाये जाने, निरक्षरता को दूर करना व साक्षरता में बढ़ावा, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिलवाकर शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को स्वयं रोज़गार स्थापित करवाना, अस्वच्छ कार्य में कार्यरत व्यक्तियों को मुक्ति दिलवाकर उन्हें पुनर्वासित करना इत्यादि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे गांवों जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो या जहां पर अनुसूचित जाति के कम से कम 90 व्यक्ति निवास कर रहे हो, के विकास के लिए आधारभूत विकासात्मक योजनाऐं जैसे विद्युतिकरण, पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों का खोलना एवं भवन निमार्ण, सम्पर्क सड़क निर्माण, बाढ़ नियन्त्रक एवं भू–संरक्षण, लघु सिंचाई–योजनाओं इत्यादि का कार्यान्वयन करना। अतः विभिन्न विभागों द्वारा मूलतः 2 प्रकार की स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं:–(1) आधारभूत विकास योजनाऐं (2) व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाऐं, जिनका विभागवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है–:

1. **कृषि विभागः–** सामान्य प्रसार योजना, फसल बीमा योजना, चाय उत्पादन, आईसोपोम उत्पादन का विकास, कृ

मैक्रो मैनेजमैंट,उर्वरकों का वितरण, पौध संरक्षण, भू विज्ञान, ओरगेनिक फारमिग ।

2.उद्यान विभागः— खुम्ब विकास परियोजना, पुष्प उत्पादन, उद्यान प्रसार कार्यक्रम, मधु मक्खी पालन, फल विधायन नर्सरियों तथा बागीचों का रखरखाव, फलोद्यान तथा पौधशालाऐं (पौधशाला पौध उत्पादन) ।

3. भू—संरक्षण (कृषि)—ः लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कृषि उत्पादन, लघु किसान उत्पादक एजैंसी (आरउ

वन—: पौध रोपण, भू—संरक्षण तथा प्रदर्शन ।

4. पशु पालन विभाग—: पशु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, सीमन प्रयोगशालाओं की स्थापना, पशु प्रजनन फाम परिव्यय, चारा विकास, केन्द्रीय एवं ज़िला कुक्कट फार्म, भेड़ प्रजनन फार्म ।

5. दुग्ध विकास निगम :— हि0प्र0 दुग्ध महासंघ को सहायता अनुदान ।

6. मत्स्य विभागः— क्रीड़ा मत्स्य पालन प्रबन्ध एवं विकास, कार्प फार्म ।

7.वन विभागः— वन आवरण में सुधार, सांझी वन योजना, मिड हिमालयन परियोजना ।

8. विपणन एवं गुण नियन्त्रणः— बागवानीः—मण्डी मध्यस्थ योजना, कार्टन सबसिडी ।

9.सहकारिता विभागः—ऋण सहकारी सभायें,उपभोक्ता सहकारी सभाऐं,औद्यौगिक सहकारी सभाऐं ।

10.ग्रामीण विकास विभागः—स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, राजीव गांधी आवास यो रविदास नागरिक सुविधा उन्नयन योजना, समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजना, सूखा क्षेत्र योजना, महात्मा गां ग्रामीण रोज़गार गांरटी योजना ।

11.हिमऊर्जा—: आई.आर.ई.पी.(एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम) ।

12. पंचायतः— ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए सहायता अनुदान, सामुदायिक भवनों का निमार्ण

13. सिंचाई एवं जन—स्वास्थ्यः— ऊर्जा पर व्यय,एआईबीपी के अन्तर्गत ऊठाऊ सिंचाई योजना व बहाव सिंचा नाबार्ड के अन्तर्गत ऊठाऊ सिंचाई योजना व बहाव सिंचाई योजना, सामान्य ऊठाऊ सिंचाई योजना व बहाव सिंचा नलकूप, प्रत्येक ज़िले में बाढ़ नियंत्रण ।

14. उद्योगः—हथकरघा बुनकरों के लिए वर्क शैड कम हाऊसिंग सहायता अनुदान, रेशम उद्योग का विकास, ज़ि केन्द्र, दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण कार्यक्रम, हिमाचली उत्पाद योजना ।

15. लोक निर्माण विभाग (सड़कें और पुल):—नाबार्ड के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कें, अनकनेक्टिड पंचायतों को लि उच्च मार्गो के साथ जोडना, राज्य उच्च मार्ग, सड़कों के साथ वन के कटने पर उनके संक्षारण हेतू सडको का रख रखाव ।

16. उर्जाः— ग्रामीण विद्युतीकरण ।

17. शिक्षा विभागः—

i) **प्राथमिक शिक्षाः—**प्राथमिक शिक्षा स्कूलों पर व्यय, **कार्यालय व्यय** के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय(; अध्यापकों का खर्चा), मुफत लेखन सामग्री, प्रा0पाठशालाओं के लिए गर्मी व सर्दी का व्यय, चिकित्स भत्ता **अन्य व्यय** (75 जेबीटी अध्यापकों पर होने वाला व्यय), प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को म सामग्री एवं संभरण, प्राथमिक स्कूलों के मूलभूत सुधार पर खर्च, प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों पाठ्य पुस्तकों हेतू व्यय, मिड डे मील, सामग्री एवं संभरण ।

ii) **माध्यमिक शिक्षाः**—माध्यमिक स्कूलों पर व्यय, भवन निर्माण।

उच्च शिक्षाः— उच्च पाठशालाओं पर व्यय, भवन निर्माण।

तकनीकी शिक्षाः—तकनीकी शिक्षा पर व्यय ।

महाविद्यालय :— भवन निर्माण पर व्यय ।

विश्वविद्यालय :— विश्वविद्यालय पर व्यय ।

कला एवं संस्कृति विभाग :—पुरातत्व एवं कला खोज नियम 1972 के अर्न्तगत 100 वर्ष पुराने मन्दिरों का रख रखाव

19 **युवा सेवा एवं खेल विभागः—** प्राथमिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं तथा ग्रामीण क्षेत्र में खेल मैदान का निमार्ण

20 **पर्वतारोहण विभाग :—**पर्वतारोहण, जल क्रीडा प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

21. स्वास्थ्य विभाग

i)**एलोपैथीः—**ग्रामीण स्वास्थ्य, सामग्री एवं संभरण, पूंजीगत परिव्यय, राष्ट्रीय अन्धता/मलेरिया/क्षय रोग नियंत्रण तथा संस्थान निमार्ण पर व्यय।

ii) **आयुर्वेदाः—**आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र, होम्योपैथिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा संस्थान निर्माण पर व्यय।

22. सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग :—सिंचाई सुविधायें, पेयजल योजनायें , सीवरेज निर्माण पर व्यय।

23. शहरी विकासः—शहरी मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार ।

24.**सूचना एवं जन सर्म्पक विभागः—** डिश ऐन्टीना वितरण ।

25.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागः—

अनुसूचित जाति बस्तियों का सुधार, गृह निर्माण अनुदान, अनुवर्ती कार्यक्रम , अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार, कम्पयुटर एवं दक्षता कार्यक्रम, छात्र—छात्राओ के लिए छात्रावास निर्माण, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 का प्रचार अनुसूचित जाति, जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत पीड़ितों को राहत राशि, वृद्ध विधवा पैंशन ,पोषाहार कार्यक्रम, हि0प्र0 अनुसूचित जाति एवं जन—जाति विकास निगम में निवेश, पढ़ाई व ब्याज मुक्त ऋण योजनायें।

11. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना (MMAGY)

उद्देश्य

अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकतम जनसख्या वाले गांव में एकीकृत विकास सुनिश्चित करके उन्हे आदर्श गांव बनाना। चिन्हित गांवो मे समेकित विकास सुनिश्चित करके आदर्श गांव बनाना।

पात्रता

प्रत्यक विधान सभा क्षेत्र मे अनुसूचित/जन जाति के दो अधिकतम जनसख्या गांव।

सहायता

चिन्हित गांवो का एकीकृत विकास वर्तमान मे केन्द्रीय/ /राज्य सरकार द्धारा कार्यन्वित की जा रही विभिन्न विभागों की योजनाओ को चिन्हित गांव मे लागू के आदेश गांव का लक्ष्य 3 वर्ष की अवधि मे पूरा किया जायेगा । प्रत्येक चिन्हित गांव के विकात के लिये 20.00 लाख गैप फिलीग फंड उपलब्ध करवाया जायेगा।

अधिकजानकारी के लिये सम्पर्कः सम्बन्धति जिला के उपायुक्त, परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अधिकारी।

ख) केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार द्धारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाऐं
(Centrally Sponsored Schemes of Ministry of Social Justice & Empowerment Govt. of India)

(II) अनुसूचित जातियों के लिए योजनाऐं

1. छात्र/ छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण योजना

उद्देश्य

अनुसूचित जातियों की छात्रों के शिक्षा के स्तर के विकास तथा उन्हे स्कूलों/कालेजो/विश्वविद्यालों में आवास सुविधा प्रदान करना।

सहायता

अनुसूचित जातियों के छात्रों हेतु छात्रावास निमार्ण हेतु 50:50 के आधार पर केन्द्र तथा राज्य सरकारे भवन के प्रकल्न के आधार अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्कः www.socialjustice.nic.in

10. अनुसूचित जाति,अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों को अनुशिक्षण तथा सम्बद्ध निःशुल्क सहायता योजना

उद्देश्य

अनुसूचित जाति, के अभ्यार्थियों के जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से कम हो उन्हें संघ लोक सेवा आयोग, स्टाफ सलैक्शन कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग द्धारा ग्रुप-ए तथा बी, बैंक इन्शोरेन्स कम्पनियों में औफिसर ग्रेड प्रत्योगी परिक्षाओं के लिए विश्वविद्यालयों, विख्यात संस्थानों तथा निजी क्षेत्र में संस्थाओं के माध्यम से अनुशिक्षण प्रदान करना।

पात्रता

विश्वविद्यालयों, विख्यात संस्थानों तथा निजी क्षेत्र में संस्थाओं द्धारा संचालित पूर्व परीक्षा केन्द्र।

सहायता

अभ्यार्थियों को निशुल्क अनुशिक्षण के दौरान 1500/रू से 3000रू तक मासिक छात्रवृति की राशि

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्कः www.socialjustice.nic.in

3. अनुसूचित जाति, के विद्यार्थियों हेतु गुणात्मक शिक्षा के लिए छात्रवृति योजना
(Top Class Education for SCs)

उद्देश्य

कक्षा 12वीं के बाद शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति, के मेधावी को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्धेश्य से आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता

अनुसूचित जाति, के छात्र/ छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से कम हो तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय द्धारा अधिसूचित इन्जीनियरिंग, मैनेजमेन्ट, लॉ, मैडिसन इत्यादि संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया हो।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्कः www.socialjustice.nic.in

4. डा0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान की योजनाएं
(Schemes of Dr. Ambedkar Foundation)

(i) अनुसूचित जाति के उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के मेधावी छात्रों हेतु राष्ट्रीय योगयता छात्रवृति योजना

(Dr. Ambedkar National Merit Scholarship Scheme for meritorious students belonging to Scheduled Castes of higher Secondary Examination)

उद्देश्य

अनुसूचित जाति के मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये सहायता उपलब्ध करवाना।

पात्रता

10+2 कक्षा की बोर्ड की वार्षिक परीक्षा (कला, विज्ञान, गणीत, वाणिजय) में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रथम तीन छात्र/छात्राओं जिनके अभिभावको की वार्षिक आय 1.00 लाख से अधिक न हो।

सहायता

40,000/-रू से लेकर 50,000/-रू तक का छात्रवृति/पुरसकार दिया जाता है।

(ii) डा0 अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना

(Dr. Ambedkar Medical Aid Scheme)

उद्देश्य

अनुसुचित जाति के व्यक्तियों को घातक रोगों के ईलाज के लिए चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना।

पात्रता

अनुसुचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.00 लाख से कम हो व जिन्हे गुर्दे, मस्तिक्ष, हृदय,कैन्सर इत्यादि जैसी जानलेवा बीमारियों जिनमे घुटने की सर्जरी की आवश्यकता हो उन्हे वित्तिय सहायता प्रदान करना।

सहायता

इलाज की कुल लागत का 75% तथा अधिकतम 1.00 लाख रू तक सम्बन्धित हस्पताल को जारी की जाती है

(iii) डा0 अम्बेडकर सामाजिक समता योजना
(Dr. Ambedkar Samajik Samta Kendra Yojana)

उद्देश्य

युवकों तथा जनता के सशक्तिकरण हेतु वाचनालय, आडीटोरियम इत्यादि के लिए डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना।

पात्रता

सामान्य निकाय पंजीकृत संस्थाए/संघ इत्यादि।

सहायता

भवन निर्माण, मुरम्मत के लिए 10.00 लाख रू0 से लेकर 50.00 रू0 तक वित्तिय सहायता

(iv) अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जातियों के लिए डा0 अम्बेडकर राहत योजना
(Dr. Ambedkar Scheme for relief to SC victims of Atrocities)

पात्रता

घृणित अत्याचार (बलात्कार, हत्या तथा घर जलाने का अपराध) से पीड़ित अनुसूचित जाति से सम्बन्धित व्यक्ति जिन्होने पुलिस के पास प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज की हो।

सहायता

5.00 लाख रू0 तक राहत राशि।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्कः www.ambedkarfoundation.nic.in

5. प्रधान मन्त्री आदर्श ग्राम योजना
(Pradhan Mantri Adrash Gram Yojana)

उद्देश्य

अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकतम जनसख्या वाले गांव में एकीकृत विकास सुनिश्चित करके उन्हे आदर्श गांव बनाना। चिन्हित गांवो मे समेकित विकास सुनिश्चित करके आदर्श गांव बनाना।

पात्रता

प्रत्यक विधान सभा क्षेत्र मे अनुसूचित/जन जाति के दो अधिकतम जनसख्या गांव ।

सहायता

चिन्हित गांवो का एकीकृत विकास वर्तमान मे केन्द्रीय/ /राज्य सरकार द्धारा कार्यन्वित की जा रही विभिन्न विभागों की योजनाओ को चिन्हित गांव मे लागू के आदेश गांव का लक्ष्य 3 वर्ष की अवधि मे पूरा किया जायेगा । प्रत्येक चिन्हित गांव के विकात के लिये 20.00 लाख गैप फिलीग फंड उपलब्ध करवाया जायेगा ।

अधिकजानकारी के लिये सम्पर्कः

सम्बन्धति जिला के उपायुक्त, परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अधिकारी ।

6. बाबू जगजीवन राम छात्रावास निर्माण योजना

(Babu Jagjivan Ram Chattaravas Yojana)

उद्देश्य

अनुसूचित जातियों की छात्राओं के शिक्षा के स्तर के विकास तथा छात्राओं को स्कूलों/कालेजो/विश्वविद्यालों में आवास सुविधा प्रदान करना ।

सहायता

अनुसूचित जातियों की छात्राओ के लिये छात्रावास निमार्ण हेतु कुल लागत की 100% अनुदान केन्द्रीय सरकार भवन के प्रकल्न के आधार पर दिया जाता है ।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्कः www.socialjustice.nic.in

(II) अन्य पिछडा वर्गो के लिए योजनऐं

1. अन्य पिछडा वर्गो के छात्र/छात्राओ के लिए छात्रावास निर्माण योजना

(Construction of hostels for OBCs boys/girls Students)

उद्देश्य

अन्य पिछडा वर्गो के छात्र/छात्राओं के शिक्षा के स्तर के विकास तथा उन्हे स्कूलों/कालेजो/विश्वविद्यालों में आवास सुविधा प्रदान करना ।

सहायता

अन्य पिछडा वर्गो के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास निमार्ण हेतु 50:50 के आधार पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकार भवन के प्रकल्न के आधार अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्कः www.socialjustice.nic.in

अल्पसंख्यक कार्य मन्त्रालय भारत सरकार द्धारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाऐं
(Centrally Sponsored Schemes of Ministry of Minority Affair Govt. of India)

1. अल्पसंख्यक के अभ्यार्थियों के लिए अनुशिक्षण एवं सम्बद्ध निःशुल्क सहायता योजना
(Free Coaching & Allied Scheme for the candidates belonging to Minority Communities)

उद्देश्य

अल्पसंख्यक के अभ्यार्थियों जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50.लाख रूपए से कम हो उन्हें केन्द्रीय/राज्य सरकार के ग्रुप-ए, बी, सी, तथा डी सेवाओं तथा अन्य सम कक्ष पदों के लिए, रेलवे, बैंक इन्शोरेन्स कम्पनियों में औफिसर ग्रेड प्रत्योगी परिक्षाओं तथा अन्य तकनीकी व व्यवसायिक कोरसीज में प्रवेश पाने के लिए परिक्षाओं इत्यादि हेतु विश्वविद्यालयों, विख्यात संस्थानों तथा निजी क्षेत्र में संचालित केन्द्रों के माध्यम से अनुशिक्षण प्रदान करना।

पात्रता

विश्वविद्यालयों, विख्यात संस्थानों तथा निजी क्षेत्र में संस्थाओं द्धारा संचालित पूर्व परीक्षा केन्द्र।

सहायता

अनुशिक्षण संस्थानों को 100% अनुदान तथा प्रशिक्षणार्थियों को अनुशिक्षण के दौरान 1500/रू से 3000रू तक मासिक छात्रवृति की राशि।

2. मौलाना आजाद शिक्षा फाऊडेशन
(Maulana Azad Education Foundation)

उद्देश्य

शैक्षणिक रूप से पिछडे अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्रों में स्कूल, महाविद्यालयो, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में मूलभूत शिक्षा सम्बन्धी ढ़ाचा स्थापित करने हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवाना।

पात्रता

सभाऐं पंजीयन अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत ट्रस्ट इत्यादि।

सहायता

स्कूल, होस्टल कालेज व्यवसायिक तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिये भवन निर्माण/भवन विस्तीर, वज्ञान तथा कम्पयूटर लैब के लिए उपकरण तथा फर्नीचर खरीदने इत्यादि के लिये अनुदान।

प्रक्रिया

सहायता प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित संस्थान को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क: सचिव मौलाना आजाद शिक्षा फाऊडेशन चैम्पस फोर्ड रोड नई दिल्ली www.maef.nic.in

3. मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना
(Maulana Azad National Scholarship Scheme)

उद्देश्य

शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गो विशेषतः अल्पसंख्यकों में और सामान्यत कमजोर वर्गो के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाओं को तैयार व कार्यान्वित करना है । जिसके तहत उन मेधावी छात्रओं की पहचान करना बढावा तथा सहायता देना जो वित्तीय सहायता के बिना अपनी शिक्षा जारी नही रख सकती है।

पात्रता

राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों (अर्थात मुस्लिम,ईसाइ, बौद्ध, सिख, पारसी) से सम्बन्धित केवल लडकियां ही आवेदन कर सकती है। जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त केन्द्रय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्धारा आयोजित माध्यमिक स्कूल (दसवी कक्षा) परिक्षा में कम से कम 55 प्रतिशित अक प्राप्त किये हो तथा जिनके परिवार की सभी स्रोतों सहित वार्षिक आय 1.00 लाख रू0 से कम हो ।

सहायता

छात्र वृति की कुल राशि 12000/- है जिससे 6000/- की दर से दो बराबर किशतों में जारी किया जायेगा।

प्रक्रिया

सहायता प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित संस्थान को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क: सचिव मौलाना आजाद शिक्षा फाऊडेशन चैम्पस फोर्ड रोड नई दिल्ली www.maef.nic.in